TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 (i) OF THE GAZETTE OF INDIA-EXTARODINARY

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the November, 2014

No. 4/2014-Narcotics Control- 1

G.S.R. (E). ----- WHEREAS the general conditions for grant of license for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year commencing on the 1st day of October, 2014 and ending with the 30th day of September, 2015, were notified vide notification number G.S.R. 679(E), dated 22nd September, 2014.

WHEREAS clause 2, sub-clause (i), of the aforesaid notification provides that the cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2013-14 and tendered an average yield of opium of not less than 56 kg/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan are eligible for a license to cultivate opium poppy.

WHEREAS the Central Government has received a number of representations from the cultivators in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan who could not tender 56 kg/hectare on account of bad weather conditions like hailstorm, for relaxation of the aforesaid stipulated yield of 56 kg/hectare.

4. NOW THEREFORE, after considering the said representations, in exercise of the powers conferred by rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby makes the following amendments in the aforesaid notification number G.S.R. 679(E), dated 22nd September, 2014, namely: -

(i) in clause 2, sub-clause (i), for the figure and words, "56 kg/hectare", the figure and words "51kg/hectare" shall be substituted.

(ii) in clause 4, after sub-clause (i) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the cultivators who have tendered average yield of not less than 51 kg/ha but less than 56 kg/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan will be issued licenses for 10 Ares."

F.No. 14011/01/2014-NC.1

(T. K. Satpathy)
Under Secretary to the Government of India

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

****

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर, 2014

सं.4/2014- स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. (अ) - जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा, पहली अक्तूबर, 2014 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु सामान्य शर्तों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679 (अ) - दिनांक 22 सितम्बर, 2014 के तहत अधिसूचित किया गया था।

जबकि पूर्वोक्त अधिसूचना के खण्ड 2 उपखण्ड (i) के अनुसार वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2013-14 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में औसतन अफीम की उपज कम से कम 56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 52 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की औसत अफीम उपज सौंपी थी अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र हैं।

जबकि केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के किसानों से जो कि खराब मौसम की स्थिति जैसे ओलावृष्टि के कारण 56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की उपज नहीं प्रदान कर सके हैं, उक्त 56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर उपज में छूट प्रदान करने हेतु बहुत संख्या में अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

अब इसलिए, इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.679 (अ) -दिनांक 22 सितम्बर, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(i) खण्ड 2 उपखण्ड (i) में आंकड़ा और शब्दों "56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर" के लिए आंकड़ा और शब्द "51 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ii) खण्ड 4 उपखण्ड (i) में निम्नलिखित परन्तुक डाला जाएगा, अर्थात् :-

मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के वे किसान, जिनके द्वारा 51 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से कम नहीं लेकिन 56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से कम की औसत अफीम उपज सौंपी गयी है, को 10 आरी के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(फा.सं.एन.14011/1/2014-स्वापक नियंत्रण-।)

(तपन कुमार सतपथी)
अवर सचिव, भारत सरकार